राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(8)न्याय/2017 जयपुर, दिनांक 17 APR 2018

अधिसूचना

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या 7) की धारा 7 की उपधारा (1) धारा 10 की उपधारा (1) एवं धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राज्य सरकार एतद्द्वारा, तुरन्त प्रभाव से, कॉलम 2 में उल्लेखित जिला न्यायाधीशों के समक्ष विचाराधीन वादों को शीघ्र निपटाने हेतु कॉलम संख्या 3 में उल्लेखित अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय सृजित एवं स्थापित करती है तथा इनकी बैठक का स्थान कॉलम संख्या 4 के अनुसार नियत करती है–

क.सं.	जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	अपर जिला न्यायाधीशों के न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3	4
1	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, अजमेर	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 2, केकडी	केकडी
2	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, अजमेर	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 2, किशनगढ	किशनगढ
3	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, बीकानेर	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 5, बीकानेर	बीकानेर
4	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, चूरु	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 2, राजगढ	राजगढ
5	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, दौसा	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 2, बांदीकुई	बॉदीकुई
6	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, घडसाना	घडसाना
7	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, जयपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 2, सांभरलेक	सांभरलेक
8	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, जयपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 3, कोटपूतली	कोटपूतली
9	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, मेडता	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, संख्या 2, परबतसर	परबतसर
10	जिला एवं सेंशन न्यायाधीश, जयपुर जिला	अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय, दूदू	दूदू

नोटः– कम संख्या 1, 2, 4 व 5 में वर्णित स्थानों पर कार्यरत् अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों का नाम परिवर्तित कर अपर जिला न्यायाधीश, संख्या 1 निर्धारित किया जाता है एवं उपरोक्त नवसृजित न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार राजस्थान सिविल न्यायालय, अध्यादेश, 1950 की धारा 10(3) एवं 7(2) एवं दण्ड

प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत् संबंधित जिला एवं सेंशन न्यायाधीशों द्वारा निर्धारित किया जायेगा एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9(3) के अन्तर्गत् राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अपर सेंशन न्यायाधीश की शक्तियाँ प्रदान की जायेगी।

राज्यपाल के आदेश से,

(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय राज्यपाल, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय विधि राज्यमंत्री, राजस्थान सरकार।
4. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. रजिस्ट्रार(प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच, जयपुर।
7. शासन सचिव, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. जिला कलेक्टर/जिला एवं सेंशन न्यायाधीश/पुलिस अधीक्षक, अजमेर/बीकानेर/चूरु/दौसा/श्रीगंगानगर/जयपुर जिला/नागौर।
9. महानिदेशक, आरक्षी/जेल, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. निदेशक, अभियोजन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, जयपुर को राजपत्र के विशेषांक में प्रकाशनार्थ(सी.डी सहित)
13. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विधि विभाग की वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. रक्षित पत्रावली।

17.04.18

(डॉ कैलाश चन्द्र अटवासिया)
संयुक्त शासन सचिव